04|12|24

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उप.। वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल किया गया। डिक्री जारी हो नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया।

GCMS 2023/158

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:41:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 262/2023 RCMS:- 2023/158 दायर दिनांक : 21.09.2023

कृष्णलाल पुत्र कालूराम जाति मेघवाल निवासी नाथवाणा तहसील संगरिया हाल आबाद ग्राम राजपुरा पिपेरन खेत में ढ़ाणी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर —वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. कलावती पुत्री कालूराम पत्नी भानीराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. राजो पुत्री कालूराम पत्नी कान्हाराम जाति मेघवाल निवासी करड़वाला वी.पी.ओ. सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. श्योपति देवी पुत्री कालूराम पत्नी सोहनलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
5. मीरा पुत्री कालूराम पत्नी दलीप जाति मेघवाल निवासी चारणवाली वी.पी.ओ. फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
6. माया पुत्री कालूराम पत्नी चुनीराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 1, सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
7. बृजलाल
8. रेवन्ताराम
9. दुलीचन्द

    } पिसरान कालूराम अकवाम मेघवाल निवासी नाथवाणा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

10. बनवारीलाल (फौत) जरिये वारिसान :—

    10/1. कलावती पत्नी बनवारीलाल

    10/2. राकेश
    10/3. जगदीश
    10/4. भीमसैन
    } पुत्रगण बनवारीलाल

    } अकवाम मेघवाल निवासीयान नाथवाणा तहसील संगरिया

—प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:41:38 IST
Reason: SelfAttested

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88 व 209 राजस्थान [illegible] अधिनियम, 1955

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उपस्थित :
1. श्री राम प्रताप तिवाड़ी, अभिभाषक वादी
2. पैरोकार राज

निर्णय दिनांक : 04.12.2024

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 व 209 आर.टी.ए. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 से 10 के पिता कालूराम पुत्र बख्ताराम के नाम से तत्कालीन आवंटन अधिकारी व सहायक उपनिवेशन आयुक्त, राजस्थान नहर योजना, सूरतगढ़ के द्वारा दिनांक 17.08.1980 को बतौर भूमिहीन जी श्रेणी काश्तकार मानकर राजस्व तहसील सूरतगढ़ के चक 4 पी.पी.एन. के पत्थर नं. 112/46 के किला नं. 1, 9 से 13, 18 से 20, 21 से 23 = 11.11 बीघा, पत्थर नं. 152/30 के किला नं. 2 में 10 बिस्वा, 9 में 17 बिस्वा, 10 से 12/3.00 बीघा, 13 में 1 बिस्वा, 17 में 14 बिस्वा, 18 में 12 बिस्वा, 19 से 22/4.00 बीघा, 23 में 18 बिस्वा, 24 में 4 बिस्वा = 10.16 बीघा व पत्थर नं. 152/39 के किला नं. 14 से 17/4.00 बीघा, 21 से 25/4.10 बीघा = 8.10 बीघा रकबा कीमतन पुख्ता आवंटन किया गया। वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 से 10 के पिता जब तक जीवित रहे, तब तक उक्त आवंटित रकबे पर उनका कब्जा काश्त रहा व उनकी मृत्यु उपरान्त आज तक वादी व प्रतिवादीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है और विरासतन नामान्तरण भी वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 से 10 के नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी में अंकन हो चुका है। वादी के पिता अनपढ़ व्यक्ति थे, उन्हें सिर्फ खेती काश्त का ज्ञान था, राजस्व रिकॉर्ड सम्बन्धी उन्हें कोई ज्ञान नहीं था व ना ही कोई सूझबूझ थी। उनको केवल मात्र भौतिक कब्जा काश्त तक की ही जानकारी थी। उन्हें भूमि के पत्थर नम्बर व किला नम्बर के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं होने से हल्का से सम्पर्क करने पर ज्ञान हुआ कि पुख्ता आवंटन आदेश अनुसार जमाबन्दी में अंकित रकबे में कुछ भिन्नता है। चक 4 पी.पी.एन. के पत्थर नं. 152/30 के किला नं. 2 में 10बिस्वा, 9 में 17बिस्वा, 10 से 12/3.00 बीघा, 13 में 1 बिस्वा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:41:33 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

17 में 14 बिस्वा, 18 में 12 बिस्वा, 19 से 22/4.00 बीघा, 23 में 18 बिस्वा, 24 में 4 बिस्वा = 10.16 बीघा रकबा आवंटित था, परन्तु पटवारी हल्का द्वारा भौतिक रूप से कब्जा पत्थर नं. 152/30 के स्थान पर पत्थर नं. 152/47 पर दे दिया गया, जो कि पुख्ता आवंटन पट्टा में दर्ज नहीं था। लेकिन अब वर्तमान जमाबन्दी में वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 से 10 के नाम से यह रकबा पत्थर नं. 152/47 के किला नं. 1/1 में 0.176 है0, 2/1 में 0.126 है0, 9/1 में 0.215 है0, 10 से 12/0.759 है0, 13/1 में 0.013 है0, 18/1 में 0.151 है0, 19 से 22/1.012 है0, 23/1 में 0.228 है0 = 2.680 है0 दर्ज है। इसी अनुसार आवंटन से लेकर आज तक वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 2 से 10 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वर्तमान में वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 से 10 के नाम चक 4 पी.पी.एन. की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 76 के खाता सं. 105/88 के पत्थर नं. 112/46 (4) के किला नं. 1/0.253 है0, 9 से 13/1.265 है0, 18 से 20/0.759 है0, 21/2 में 0.215 है0, 22/2 में 0.215 है0, 23/2 में 0.215 है0 = 2.922 है0, पत्थर नं. 152/39 (11) के किला नं. 14 से 17/1.012 है0, 21/2 में 0.228 है0, 22/2 में 0.227 है0, 23/2 में 0.228है0, 24/2 में 0.228 है0, 25/2 में 0.228 है0 = 2.151 है0 व पत्थर नं. 152/47 (10) के किला नं. 1/1 में 0.176 है0, 2/1 में 0.126 है0, 9/1 में 0.215 है0, 10 से 12/0.759 है0, 13/1 में 0.013 है0, 18/1 में 0.151 है0, 19 से 22/1.012 है0, 23/1 में 0.228 है0 = 2.680 है0, कुल 7.753 है0 अनकमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 2 से 10 अपने पिता से विरासतन कब्जा प्राप्त करके मौका पर काबिज काश्त हैं। वादी ने उक्त रकबा की पटवारी हल्का से खातेदारी जारी करवाने हेतु सम्पर्क किया तो पटवारी हल्का ने कहा कि आपका कब्जा काश्त आवंटन से भिन्न है। आपको चक 4 पी.पी.एन. के पत्थर नं. 152/30 में 10.16 बीघा रकबा पिता के नाम से आवंटन है, जबकि आप पत्थर नं. 152/47 की 2.680 है0 पर काबिज हो, जिसे हम खाली करायेंगे। वादी व प्रतिवादीगण को राजस्व रिकॉर्ड के बारे में कतई जानकारी नहीं थी व ना ही पिता कालूराम को जानकारी थी। पटवारी हल्का ने आवंटन के समय जिस भूमि का कब्जा दिया, उसी भूमि पर वादी व

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:41:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

प्रतिवादीगण के पिता कालूराम अपने जीवनकाल में व उनकी मृत्यु उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 से 10 काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं एवं जमाबन्दी में भी हमारे नाम अंकन चला आ रहा है। वादी ने वाद के साथ आवंटन आदेश व वर्तमान जमाबन्दी प्रस्तुत कर वादी के पिता को चक 4 पी.पी.एन. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 152/47 (10) के किला नं. 1/1 में 0.176 है0, 2/1 में 0.126 है0, 9/1 में 0.215 है0, 10 से 12/0.759 है0, 13/1 में 0.013 है0, 18/1 में 0.151 है0, 19 से 22/1.012 है0, 23/1 में 0.228 है0 = 2.680 है0 अनकमाण्ड भूमि का पुख्ता आवंटी घोषित किये जाने एवं इसी अनुसार वादी के पिता के नाम से चक 4 पी.पी.एन. की पुख्ता आवंटन भूमि के पट्टा में अंकित पत्थर नं. 152/30 के किला नं. 2, 9, 10 से 12, 13, 17, 18, 19 से 22, 23, 24 की 10.16 बीघा अनकमाण्ड भूमि को कलमजन कर उसके स्थान पर पत्थर नं. 152/47 (10) के किला नं. 1/1 में 0.176 है0, 2/1 में 0.126 है0, 9/1 में 0.215 है0, 10 से 12/0.759 है0, 13/1 में 0.013 है0, 18/1 में 0.151 है0, 19 से 22/1.012 है0, 23/1 में 0.228 है0 = 2.680 है0 अनकमाण्ड भूमि का भूमिहीन पुख्ता आवंटी घोषित किये जाने का निवेदन किया।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र व सदस्य प्रमाण–पत्र बनवारी लाल प्रस्तुत कर प्रतिवादी सं. 10 की मृत्यु हो जाने के कारण उनके वारिसान को पक्षकार बनाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रतिवादी सं. 10 की मृत्यु होने पर उनके वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने के आदेश दिये गये एवं संशोधित शीर्षक पेश किये जाने पर शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण सं. 2 से 9, 10/1 से 10/4 की ओर से अभिभाषक श्री कमल [illegible] ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण सं. 2 से 9, 10/1 से 10/4 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत नहीं होने पर जवाब प्रतिवादीगण सं. 2 से 9, 10/1 से 10/4 बन्द किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर पैरोकार राज ने जवाबदावा प्रस्तुत कर राज्य हितों को ध्यान में रखते हुए वाद का निर्णय किये जाने का निवेदन

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:41:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

किया। जवाबदावा प्रस्तुत होने के पश्चात् निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 के पिता को चक 4 पी.पी.एन. के प.नं. 112/46, 152/30, 152/39 में कुल 31.17 बीघा अ0क0 भूमि दिनांक 17.08.1980 को पुख्ता आवंटन हुई ? (वादी)
2. आया कि वादी को प.नं. 152/30 में रकबा आवंटन था, किन्तु कब्जा प.नं. 152/47 पर दिया गया। जो कि जमाबन्दी में भी वादी व प्रति. सं. 2 ता 10 के नाम से दर्ज है ? (वादी)
3. आया कि वादी व प्रति. सं. 2 ता 10 प.नं. 152/47 पर आवंटन दिनांक से काबिज काश्त हैं तथा रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इसी अनुसार पुख्ता आवंटन की घोषणा का हकदार है ? (वादी)
4. अन्य अनुतोष

तनकीयात कायम किये जाने के पश्चात् साक्ष्य लिये गये। साक्ष्य में वादी ने स्वयं का बयान शपथ–पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर जिरह प्रतिवादी सं. 1 एवं वकील प्रतिवादीगण सं. 2 से 10/4 शून्य रही। वादी और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहता तथा प्रतिवादीगण भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते, इसलिए साक्ष्य वादी व प्रतिवादीगण बन्द किये गये। बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक वादी ने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया और पत्रावली में उपलब्ध आवंटन आदेश, जमाबन्दी की ओर ध्यान दिलाते हुए निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 से 10 के पिता कालूराम को दिनांक 17.08.1983 को बतौर भूमिहीन जी श्रेणी चक 4 पी.पी.एन. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 112/46 के किला नं. 1, 9 से 13, 18 से 20, 21 से 23 = 11.11 बीघा, पत्थर नं. 152/30 के किला नं. 2 में 10 बिस्वा, 9 में 17 बिस्वा, 10 से 12/3.00 बीघा, 13 में 1 बिस्वा, 17 में 14 बिस्वा, 18 में 12 बिस्वा, 19 से 22/4.00 बीघा, 23 में 18 बिस्वा, 24 में 4 बिस्वा = 10.16 बीघा व पत्थर नं. 152/39 के किला नं. 14 से 17/4.00 बीघा, 21 से 25/4.10 बीघा = 8.10 बीघा, कुल 30.17 बीघा अ[illegible] रकबा कीमतन पुख्ता आवंटन किया गया और पटवारी हल्का द्वारा कब्जा [illegible] नाम पर काबिज काश्त हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:41:33 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 6 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

और आवंटी की मृत्यु उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 से 10 के नाम विरासतन दर्ज हुआ, जिस पर आज तक वादी व प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वाद में त्रुटिवश उक्त भूमि के आवंटन के निर्णय की दिनांक 17.08.1980 व योग त्रुटिवश 31.17 बीघा अंकित कर दिया गया, जबकि आवंटन आदेश में आवंटन निर्णय दिनांक 17.08.1983 व भूमि का कुल योग 30.17 बीघा अंकित है, इसलिए इसी अनुसार पढ़े जाने का निवेदन किया। वर्तमान में वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 से 10 के नाम चक 4 पी.पी.एन. की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 76 के खाता सं. 105/88 के पत्थर नं. 112/46 (4) में 2.922 है0, पत्थर नं. 152/39 (11) में 2.151 है0 व पत्थर नं. 152/47 (10) में 2.680 है0, कुल 7.753 है0 अनकमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी ने पुख्ता आवंटित रकबा की खातेदारी जारी करवाने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो पता चला कि जमाबन्दी में चक 4 पी.पी.एन. के पत्थर नं. 152/47 (10) में 2.680 है0 अनकमाण्ड भूमि अंकित है, जबकि आवंटन आदेश में चक 4 पी.पी. एन. के पत्थर नं. 152/30 में 10.16 बीघा रकबा अंकित है। वादी के पिता अनपढ़ व्यक्ति थे, राजस्व रिकॉर्ड के बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। उनको केवल मात्र भौतिक कब्जा काश्त तक की ही जानकारी थी। उन्हें भूमि के पत्थर नम्बर व किला नम्बर के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं थी। चक 4 पी.पी.एन. के पत्थर नं. 152/30 के किला नं. 2 में 10 बिस्वा, 9 में 17 बिस्वा, 10 से 12/3.00 बीघा, 13 में 1 बिस्वा, 17 में 14 बिस्वा, 18 में 12 बिस्वा, 19 से 22/4.00 बीघा, 23 में 18 बिस्वा, 24 में 4 बिस्वा = 10.16 बीघा रकबा आवंटित था, परन्तु पटवारी हल्का द्वारा भौतिक रूप से कब्जा पत्थर नं. 152/30 के स्थान पर पत्थर नं. 152/47 पर दे दिया गया, जो कि पुख्ता आवंटन पट्टा में दर्ज नहीं था। पटवारी हल्का द्वारा जिस भूमि का कब्जा दिया गया, उसी पर वादी के पिता काबिज होकर काश्त करते रहे और उनकी मृत्यु उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 से 10, और प्रतिवादी सं. 10 की मृत्यु उपरान्त उनके हिस्से पर उनके वारिसान प्रतिवादीगण सं. 10/1 से 10/4 काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। वादी व प्रतिवादीगण को राजस्व रिकॉर्ड के बारे में कतई जानकारी नहीं थी व ना [illegible] कालूराम को जानकारी थी। पटवारी हल्का ने कहा कि आपका कब्जा काश्त [illegible] से भिन्न है। आपको चक 4 पी.पी.एन. के पत्थर नं. 152/30 में 10.16 बीघा रकबा आपके पिता के

क्रमशः ..... पेज 7 पर

उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:41:33 IST
Reason: SelfAttested

नाम से आवंटन है, जबकि आप पत्थर नं. 152/47 की 2.680 है0 भूमि पर काबिज हो, जिसे हम खाली करायेंगे। पत्थर नं. 152/30 की भूमि पर वादी के पिता एवं उनकी मृत्यु उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 से 10 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा, वे आवंटन की दिनांक से लेकर आज तक पत्थर नं. 152/47 की 2.680 है0 भूमि लगातार काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं, जिसका वर्तमान जमाबन्दी में अंकन भी है, लेकिन आवंटन आदेश में भिन्नता के कारण जैरवाद कब्जा काश्त भूमि की वादी खातेदारी जारी करवाने से वंचित हो रहा है, इसलिए वादी के पिता को चक 4 पी.पी.एन. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 152/47 (10) के किला नं. 1/1 में 0.176 है0, 2/1 में 0.126 है0, 9/1 में 0.215 है0, 10 से 12/0.759 है0, 13/1 में 0.013 है0, 18/1 में 0.151 है0, 19 से 22/1.012 है0, 23/1 में 0.228 है0 = 2.680 है0 अनकमाण्ड भूमि का पुख्ता आवंटी घोषित किये जाने एवं इसी अनुसार वादी के पिता के नाम से चक 4 पी.पी.एन. की पुख्ता आवंटन भूमि के पट्टा में अंकित पत्थर नं. 152/30 के किला नं. 2, 9, 10 से 12, 13, 17, 18, 19 से 22, 23, 24 की 10.16 बीघा अनकमाण्ड भूमि को कलमजन कर उसके स्थान पर पत्थर नं. 152/47 (10) के किला नं. 1/1 में 0.176 है0, 2/1 में 0.126 है0, 9/1 में 0.215 है0, 10 से 12/0.759 है0, 13/1 में 0.013 है0, 18/1 में 0.151 है0, 19 से 22/1.012 है0, 23/1 में 0.228 है0 = 2.680 है0 अनकमाण्ड भूमि का भूमिहीन पुख्ता आवंटी घोषित किये जाने की प्रार्थना की। राज्य पक्ष प्रतिवादी सं. 1 की ओर से पैरोकार राज ने जवाबदावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए राज्य हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय किये जाने की प्रार्थना की।

पक्षकारान की बहस का श्रवण करने के उपरान्त बहस के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का गहनता से पठन व मनन किया गया। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से है :

तनकी नं. 1 – <u>आया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 के पिता को चक 4 पी.पी.एन. के प.नं. 112/46, 152/30, 152/39 में कुल 31.17 बीघा अ0क0 भूमि दिनांक 17.08.1980 को पुख्ता आवंटन हुई ?</u> (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भा[illegible] है। अभिभाषक वादी ने दौराने बहस कथन किया कि वाद में त्रुटिवश [illegible] के आवंटन के निर्णय की दिनांक 17.08.1980 व [illegible] त्रुटिवश 31.17 [illegible] अंकित कर दिया गया,

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:41:33 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 8 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

जबकि आवंटन आदेश में आवंटन निर्णय दिनांक 17.08.1983 व भूमि का कुल योग 30.17 बीघा अंकित है, इसलिए इसी अनुसार पढ़े जाने का निवेदन किया। वादी ने इस तनकी को सिद्ध करने के लिए आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की, जो कि दस्तावेजी साक्ष्य है, जिससे सिद्ध होता है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 के पिता कालूराम को चक 4 पी.पी.एन. के पत्थर नं. 112/46, 152/30, 152/39 में कुल 30.17 बीघा भूमि निर्णय दिनांक 17.08.1983 के द्वारा पुख्ता आवंटन हुई थी। वादी ने इस तनकी को दस्तावेजी साक्ष्य से पूर्ण रूप से सिद्ध किया है। तनकी नं. 1 बहक वादी निर्णय की जाती है।

तनकी नं. 2 – आया कि वादी को प.नं. 152/30 में रकबा आवंटन था, किन्तु कब्जा प.नं. 152/47 पर दिया गया। जो कि जमाबन्दी में भी वादी व प्रति. सं. 2 ता 10 के नाम से दर्ज है ? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादी पर था। वादी ने इस तनकी को सिद्ध करने के लिए आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति एवं चक 4 पी.पी.एन. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 खाता सं. 105/88 की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की, जो कि एक दस्तावेजी साक्ष्य हैं। आवंटन आदेश में चक 4 पी.पी.एन. के पत्थर नं. 152/30 के किला नं. 2, 9, 10 से 12, 13, 17, 18, 19 से 22, 23, 24 की 10.16 बीघा भूमि का अंकन है एवं जमाबन्दी में चक 4 पी.पी.एन. के पत्थर नं. 152/47 (10) के किला नं. 1/1 में 0.176 है0, 2/1 में 0.126 है0, 9/1 में 0.215 है0, 10 से 12/0.759 है0, 13/1 में 0.013 है0, 18/1 में 0.151 है0, 19 से 22/1.012 है0, 23/1 में 0.228 है0 = 2.680 है0 अनकमाण्ड भूमि वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 से 10 के नाम अंकित है। जमाबन्दी में अन्य पत्थर नम्बर 112/46 व 152/39 का अंकन आवंटन आदेश अनुसार है। वादी ने इस तनकी को दस्तावेजी साक्ष्यों से पूर्ण रूप से सिद्ध किया है। तनकी नं. 2 बहक वादी निर्णय की जाती है।

तनकी नं. 3 – आया कि वादी व प्रति. सं. 2 ता 10 प.नं. 152/47 पर आवंटन दिनांक से काबिज काश्त हैं तथा रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इसी अनुसार पुख्ता आवंटन की घोषणा का हकदार है ? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। इस तनकी का सम्बन्ध तनकी नं. 2 से है, जो बहक वादी निर्णय की जा चुकी है। तनकी नं. 3 बहक वादी निर्णय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:41:33 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 9 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

तनकी नं. 1 से 3 बहक वादी निर्णय की जा चुकी है। वादी ने वाद को पूरी तरह से सिद्ध किया है। वाद में चाहे गये अनुतोष के बिना वादी खातेदारी जारी करवाने से वंचित है, जिसका प्रतिवादीगण की ओर से भी कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। राज्य पक्ष की ओर से पैरोकार राज ने राज्य हितों को ध्यान में रखते हुए वाद निर्णय किये जाने की प्रार्थना की। वाद वादी स्वीकार किये जाने से राज्य सरकार हित भी प्रभावित नहीं हो रहे हैं, इसलिए वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पिता कालूराम पुत्र बख्ताराम को चक 4 पी.पी.एन. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 152/47 (10) के किला नं. 1/1 में 0.176 है0, 2/1 में 0.126 है0, 9/1 में 0.215 है0, 10 से 12/0.759 है0, 13/1 में 0.013 है0, 18/1 में 0.151 है0, 19 से 22/1.012 है0, 23/1 में 0.228 है0 = 2.680 है0 अनकमाण्ड भूमि का पुख्ता आवंटी घोषित किया जाता है एवं इसी अनुसार वादी के पिता के नाम से चक 4 पी.पी.एन. की पुख्ता आवंटन भूमि के पट्टा में अंकित पत्थर नं. 152/30 के किला नं. 2, 9, 10 से 12, 13, 17, 18, 19 से 22, 23, 24 की 10.16 बीघा अनकमाण्ड भूमि को कलमजन कर उसके स्थान पर पत्थर नं. 152/47 (10) के किला नं. 1/1 में 0.176 है0, 2/1 में 0.126 है0, 9/1 में 0.215 है0, 10 से 12/0.759 है0, 13/1 में 0.013 है0, 18/1 में 0.151 है0, 19 से 22/1.012 है0, 23/1 में 0.228 है0 = 2.680 है0 अनकमाण्ड भूमि का पुख्ता आवंटी घोषित किया जाता है। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:41:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
बइजलास – सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

अनवान :–

कृष्णलाल पुत्र कालूराम जाति मेघवाल निवासी नाथवाणा तहसील संगरिया हाल आबाद ग्राम राजपुरा पिपेरन खेत में ढाणी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
–वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. कलावती पुत्री कालूराम पत्नी भानीराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. राजो पुत्री कालूराम पत्नी कान्हाराम जाति मेघवाल निवासी करड़वाला वी.पी.ओ. सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. श्योपति देवी पुत्री कालूराम पत्नी सोहनलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
5. मीरा पुत्री कालूराम पत्नी दलीप जाति मेघवाल निवासी चारणवाली वी.पी.ओ. फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
6. माया पुत्री कालूराम पत्नी चुनीराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 1, सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
7. बृजलाल
8. रेवन्ताराम
9. दुलीचन्द

} पिसरान कालूराम अकवाम मेघवाल निवासी नाथवाणा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

10. बनवारीलाल (फौत) जरिये वारिसान :–
    - 10/1. कलावती पत्नी बनवारीलाल
    - 10/2. राकेश
    - 10/3. जगदीश
    - 10/4. भीमसैन

    (10/2–10/4) } पुत्रगण बनवारीलाल

    } अकवाम मेघवाल निवासीयान नाथवाणा तहसील संगरिया

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 88 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 262 वर्ष 2023 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषक वादी श्री राम प्रताप तिवाड़ी एवं पैरोकार राज** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पिता कालूराम पुत्र बख्ताराम को चक 4 पी.पी.एन. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 152/47 (10) के किला नं. 1/1 में 0.176 है0, 2/1 में 0.126 है0, 9/1 में 0.215 है0, 10 से 12/0.759 है0, 13/1 में 0.013 है0, 18/1 में 0.151 है0, 19 से 22/1.012 है0, 23/1 में 0.228 है0 = 2.680 है0 अनकमाण्ड भूमि का पुख्ता आवंटी घोषित किया जाता है एवं इसी अनुसार वादी के पिता के नाम से चक 4 पी.पी.एन. की पुख्ता आवंटन भूमि के पट्टा में अंकित पत्थर नं. 152/30 के किला नं. 2, 9, 10 से 12, 13, 17, 18, 19 से 22, 23, 24 की 10.16 बीघा अनकमाण्ड भूमि को कलमजन कर उसके स्थान पर पत्थर नं. 152/47 (10) के किला नं. 1/1 में 0.176 है0, 2/1 में 0.126 है0, 9/1 में 0.215 है0, 10 से 12/0.759 है0, 13/1 में 0.013 है0, 18/1 में 0.151 है0, 19 से 22/1.012 है0, 23/1 में 0.228 है0 = 2.680 है0 अनकमाण्ड भूमि का पुख्ता आवंटी घोषित किया जाता है।

नोज ....×......... मुबलिग ....×......... शाह ....×......... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ....×.............. सालाना फी सैकड़ा ....×...........आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 05.12.2024 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:41:33 IST
Reason: SelfAttested